उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 749—पारे0अनु0—16/पाट्राकालि—2020—18/14 टी0सी0 दिनांकः 22 अक्टूबर, 2020

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण—पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर—पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण—मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण—पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण—प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

ई—मेल

विषयः प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड—19 के उपचार हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या—2463—औ0सं0—17/पाकालि/2020—11(2)ए0एस0/20, दिनांक 08.09.2020 ससंलग्न विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0—1659/पाँच—5—2020/चिकित्सा अनुभाग—5 दिनांक 29.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड—19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी चिकित्सालयों में किये जाने हेतु लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग—5 के शासनादेश सं0—1412/पाँच—5—2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये दिशा—निर्देश जारी किये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0—1659/पाँच—5—2020/चिकित्सा अनुभाग—5 दिनांक 29.08.2020 द्वारा निर्धारित फीस/दरों पर भर्ती होकर कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण—तृतीय)

संख्या : 749 (I)—पारे0अनु0—16/पाट्राकालि/2020 तददिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

6. संयुक्त सचिव (पारेषण प्रथम/द्वितीय),. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–2463–औ0सं0–17 / पाकालि / 2020–11(2)ए0एस0 / 20 दिनाँक 08 सितम्बर, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पश्चिमांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / मेरठ / वाराणसी / आगरा / कानपुर।

विषयः– प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के उपचार हेतु निर्धारित दर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1659 / पाँच–5–2020 / चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक 29.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) जिसमें प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी चिकित्सालयों में किये जाने हेतु लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश सं0–1412 / पाँच–5–2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के आदेश सं0–1550–औ0सं0 / 2020–11(2) ए0एस0 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा एल–1, एल–2 एवं एल–3 चिकित्सालयों में उपचार हेतु एवं सं0–1825–औ0सं0 / 2020 दिनांक 20.07.2020 द्वारा शासनादेश सं0–917 / 71–4–2020 / चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 10.07.2020 के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित दरों, शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कारपोरेशन एवं उसके सहयोगी कम्पनियों / डिस्काम के कार्मिकों / पेन्शनरों एवं उनके आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेन्शनरों के कोविड–19 संक्रमित रोगियों द्वारा सम्बन्धित चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर भर्ती होकर कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः उक्त के अनुक्रम में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1659 / पाँच–5–2020 / चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक 29.08.2020 द्वारा निर्धारित फीस / दरों पर भर्ती होकर कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–2463–औ0सं0–17 / पाकालि / 2020 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।

क्रमशः 2/–

MEDICAL/1134

5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमा मेरठ/दक्षिणाँचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. महाप्रबन्धक (मा0सं0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, 12वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
13. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
16. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org/E BOOK** पर अपलोड करने हेतु।
18. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या–1659 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 29 अगस्त, 2020

चिकित्सा अनुभाग–5

विषय– प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड–19 के उपचार के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड–19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी
चिकित्सालयों में किए जाने हेतु लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में चिकित्सा अनुभाग–5
के शासनादेश संख्या–1412 / पाँच–5–2020 दिनांक 10.07.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा
दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– प्रदेश में विगत कुछ समय से प्रतिदिन एक लाख के करीब कोरोना वायरस के
सैम्पल्स की जाँच करवायी जा रही है। प्रदेश की औसत पॉजिटीविटी 5 प्रतिशत के
आस–पास आ रही है। जहाँ कुछ जनपदों में यह पाजिटीविटी बहुत कम है, वहीं कुछ
जनपदों में 10 प्रतिशत से अधिक भी देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में कुछ
जनपदों में जिला प्रशासन को क्रिटिकल केयर के बेड्स की कमी महसूस हो रही है।

3– निजी चिकित्सालयों के लिए डा० विनोद पॉल कमेटी के द्वारा दी गयी संस्तुतियों
के क्रम में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा निम्नवत् फीस निर्धारित की गयी
है:–

(1) ए श्रेणी के नगरों में सुपर स्पेशिलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड–19
अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजो से ली जाने वाली दर
निम्नलिखित है:–

Category of hospitals	Hospital rates for per day of admission (in Rs.)		
	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Severe Sickness
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care (invasive/non-invasive
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

(2) प्रदेश के 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में स्थित सुपर स्पेशिलिटी के अस्पताल
उक्त दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेंगे।

(3) नगरों का वर्गीकरण निम्नवत है:–

श्रेणी–ए–कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ,
नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद के नगर।

श्रेणी–बी–मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर,
शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद के नगर।

श्रेणी–सी–उपरोक्त श्रेणी–ए व बी से भिन्न जनपदों के नगर।

–2–

4— उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों को अध्यापेक्षित किया गया है तथा उन्हें आयुष्मान भारत की दर पर मरीजों की चिकित्सा के लिए धनराशि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। यह दर निम्नवत् है:—

जनरल वार्ड—	रू0 1800 प्रतिदिन
एच0डी0यू0—	रू0 2700 प्रतिदिन
आई0सी0यू0 (वेंटीलेटर रहित)	रू0 3600 प्रतिदिन
आई0सी0यू0 (वेंटीलेटर सहित)	रू0 4500 प्रतिदिन

उपरोक्त दर के अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को सरकार के द्वारा सुरक्षात्मक उपकरण यथा—पी0पी0ई0 किट, एन—95 मास्क उपलब्ध कराया जा है।

5— यह देखा जा रहा है कि जहॉ एक ओर निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर मरीजों की संख्या कम ही रहती है तथा उनके बेड का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनपदों को क्रिटिकल केयर के लिए बेड की कमी महसूस होती रहती है।

6— तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिटिकल केयर के लिए जिलों में एल—2/एल—3 लेवल के चिकित्सालयों में बेड की कमी होने की दशा में निजी कोविड चिकित्सालयों के 50 प्रतिशत बेड पर जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संदर्भित मरीजों को आयुष्मान भारत की दर पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा।

7— यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड—19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड—19 विनियमावली, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
29/8/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—1659(1)/पॉच—5—2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ0प्र0।
9. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
29/8/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।